(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 225–दो/2002 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2001 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 15/1998–99 अपील

प्रताप सिंह पुत्र बलवीर सिंह
ग्राम सगरा तहसील व जिला भिण्ड -- आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती सरस्वती पत्नि स्व.नवावसिंह
2– मुस.मुन्नीदेवी पत्नि स्व. जौरसिंह
3– गयासिंह (फोत) पुत्र हीरासिंह
वारिस
अ– गोधन सिंह ब– राजवीर सिंह
स– सुमेरसिंह पुत्रगण गया सिंह
4– पूरन सिंह 5– कुम्हेर सिंह
दोनों पुत्रगण रामलखन सिंह
6– महिला रानीदेवी पत्नि स्व.सुखध्यानसिंह
7– जगनायक 8– मुकेश 9– रामशरण
तीनों पुत्रगण सुखध्यान सिंह
10–उदयसिंह पुत्र सुदामा सिंह
11–रामरूपसिंह 12– सोनी सिंह
दोनों पुत्रगण हेत सिंह सभी निवासी
ग्राम सगरा तहसील व जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री के0डी0दीक्षित)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 3 -2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 15/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–6–2001 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सगरा में गयासिंह के नाम भूमि सर्वे नंबर 1390 रकबा 0.397 हैक्टर भूमि थी। तहसील न्यायालय में प्रताप सिंह आवेदक ने इस आशय का आवेदन दिया कि वह उक्त भूमि का सिकमी कास्तकार है इसलिये उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाय। तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 10/93-93X190 दर्ज किया गया तथा वाद सुनवाई आदेश दिनांक 27-6-97 से आवेदक को सिकमी कास्तकार प्रमाणित मानकर भूमिस्वामी दर्ज करने के आदेश हुये। इसके विरूद्ध एस0डी0ओ0भिण्ड के यहां अपील क्रमांक 55/96-97 होने पर आदेश दिनांक 30-9-98 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 27-6-97 स्थिर रखा गया। इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना के यहॉ अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 15/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-2001 से अपील स्वीकार की गई एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वाद विचारित भूमि के हिस्सा 1/2 की भूमिस्वामिनी महिला सरस्वती अनावेदक क-1 है परन्तु शेष भाग के भूमिस्वामियों को संहिता की धारा 169, 190, 110 के दावे पर कोई आपत्ति नहीं है । प्रतीत होता है कि वाद विचारित भूमि के विक्रय प्रतिफल को बचाने एंव आवेदक व्दारा अनुचित लाभ लेने के उद्वेश्य से तहसील न्यायालय में उक्तानुसार दावा किया जाना आभाषित है क्योंकि मूल दावे में यह नहीं बताया गया है

कि किस भूमिस्वामी अथवा किस व्यक्ति (नामजद व्यक्ति) ने भूमि सिकमी कास्तकार के रूप में जुताई है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 168 में प्रावधान है कि निःशक्त जन की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को उपकृषकत्व अथवा धारा 190 के अधीन मौरूषी कृषकत्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते, जिनमें विधवा महिला भी निःशक्त श्रेणी में है, जिसके कारण विद्वान अपर आयक्त ने पारित आदेश दिनांक 29 जून 2002 में विस्तृत विवेचना कर अपील स्वीकार की है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के कारण निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 15/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिह)
सदस्य
राजस्व मंडल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर